IJAER/ November-December 2023/Volume-12/Issue-6 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

"न्यायिक पुनरावलोकनः विभिन्न देशों के संवैधानिक प्रावधानों का तुलनात्मक अध्ययन"

विकास भड़िया
सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान)
राजकीय महिला महाविद्यालय, झुंझुनूं

सारांश :–

न्यायिक पुनरावलोकन उस प्रक्रिया को कहा गया है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के कार्यों एवम विधायिका के कार्यो की न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा का प्रावधान हो। शासन की प्रणाली चाही संसदीय हो अथवा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य सम्बन्ध चाहे सौहार्दपूर्ण हो अथवा टकरावपूर्ण शासन की शक्ति को संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं में बनाये रखने और संविधान के प्रावधानों और प्रयोजनों का संरक्षण करने का दायित्व मुख्यतः न्यायपालिका पर होता है। न्यायपालिका अपने इस दायित्व का निर्वाह जिस संस्थागत उपागम द्वारा करती है उसे सांविधानिक भाषा में न्यायिक पुनरावलोकन की संज्ञा दी जाती है। न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कृत्यों की समीक्षा की परिधि, प्रक्रिया व प्रकृति में विभिन्न सांविधानिक व्यवस्थाओं में भिन्नताएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगत हो सकती हैं। इसके अंतर्गत भारत, अमेरीका, जापान, जर्मनी, चीन, स्विट्जरलैण्ड, आयरलण्ड, इटली, अर्जेण्टीना के संविधानों में वर्णित न्यायिक पुनरावलोकन के प्रावधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द – न्यायिक पुनरावलोकन, मारबरी बनाम मेडिसन 1803, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, स्विट्जरलैण्ड, भारत, अमेरीका, जापान, चीन, इटली, अर्जेण्टीना, आयरलैण्ड, संविधान, संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद।

सामान्य–परिचय :–

न्यायिक पुनरावलोकन उस प्रक्रिया को कहा गया है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के कार्यो एवम विधायिका के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा का प्रावधान हो।

दूसरे शब्दों में न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से होता है जिस शक्ति के द्वारा वह विधायिका द्वारा बनाये गये और कार्यपालिका द्वारा लागू किये गये आदेशों और कानूनों की जॉच करती है कि वे संविधान के अनुसार हैं या नहीं। संविधान या संविधान के प्रतिकूल होने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित करता है।[1]

न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति सामान्य तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है। 1803 मे अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने **'मार्बरी बनाम मेडिसन'** नामक वाद में पहली बार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की स्थापना की थी।[2] लेकिन पिनॉक व स्मिथ ने इसकी उत्पति ब्रिटेन से मानी है।[3]

न्यायिक पुनरावलोकन को विभिन्न विद्वानों ने अलग–अलग प्रकार से परिभाषित किया है –

1. मॉर्शल के अनुसार, ''न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की ऐसी शक्ति है जिसमें यह किसी कानूनी या सरकारी कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जिसे यह देश की मूल विधियां संविधान के विरूद्ध समझती है।''
2. मुनरो के अनुसार, ''न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है जिसके अंतर्गत कांग्रेस द्वारा पारित किसी कानून अथवा राज्य के संविधान की किसी व्यवस्था या कानून जैसे प्रभाव वाले और किसी सार्वजनिक नियम के सम्बंध में यह निर्णय लिया जाता है कि वह संयुक्त राज्य के संविधान के अनुकूल है या नहीं।
3. मैक्रिडिस तथा ब्राउन के अनुसार, ''न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ न्यायाधीशों की उस शक्ति में है जिसके अधीन वे एक उच्चतर कानून के नाम पर संविधियों तथा आदेशों की व्याख्या कर सकें और संविधान के विरूद्ध पाने पर उन्हें अमान्य ठहरा सकें।
4. एम.वी. पायली के अनुसार, ''यह न्यायालय की वह क्षमता है जिससे वह व्यवस्थापन कार्यों की वैधानिकता या अवैधानिकता घोषित करती है।[4]

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वे कार्यपालिका तथा विधायिका द्वारा बनाये गए कानूनों की संवैधानिकता जांचते हैं और यदि वे कानून संविधान के विपरीत हों तो वह उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है।

''**विश्व के संविधानों में न्यायिक पुनरावलोकन** भारत का संविधान – भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख नहीं है परन्तु इसका आधार है– अनु॰ 13(2), अनु॰ 32, अनु॰ 226, अनु॰ 131 और अनु॰ 243 और न्यायाधीशों द्वारा संविधान के सरंक्षण की शपथ।

भारतीय संविधान का अनु. 13 राज्य के नागरिक के विरूद्ध मूल अधिकारों के सरंक्षण की गारंटी देता है। यदि राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों का उल्लघन करती है तो न्यायालय उसको शून्य घोषित कर सकता है। इसके द्वारा न्यायालय विधियों की संवैधानिकता की जांच करता है।[5]

अनु. 13 (1) इसमें कहा गया है कि, भारतीय संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जहां तक कि वे संविधान के भाग तीन के उपबंधों से असंगत है।

अनु. 13(2) राज्य ऐसी कोई विधि नही बनायेगा जो मूल अधिकारों को छीनती है। इस खण्ड के उल्लघंन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा शून्य होगी। अनु. 13(3) विधि के अंतर्गत भारत में विधि के समान कोई

अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, उपनियम, अधिसूचना रूढ़ि व प्रथा आते हैं अर्थात् इनमें से किसी के भी द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उन्हें न्यायालय में रिट के द्वारा चुनौति दी जा सकती है।

अनु. 13(4) यह संविधान के 24 वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसके अनुसार इस अनुच्छेद की कोई बात अनु. 368 के अधीन किये गए संविधान संशोधन को लागू नहीं होगी।

यह अनु. सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकों को अपनी–2 हद में रहने को बाध्य करता है ताकि यह एक दूसरे के प्रावधान के क्षेत्रों में हस्तक्षेप न करे।

संविधान में अनु. 13, 32, 132, 133 व 226 के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गयी है।

संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान (1787) –

संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यायिक शक्तियाँ एक सर्वोच्च न्यायालय और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में निहित की है।[6]

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की कोई अभिव्यक्त शक्ति स्वीकृत नहीं की थी परंतु सांविधानिक विकास ने इस शक्ति को इस व्यापक सीमा तक प्रतिष्ठित कर दिया है कि उच्चतम न्यायालय **'कांग्रेस का तृतीय सदन'** तक कहा जाने लगा है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शुरूआत 1803 में **'मारबरी बनाम मेडिसन'** के विवाद में न्यायमूर्ति मार्शल द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया और तब से अब तक इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा निर्मित 18 कानूनों को अवैध घोषित कर चुका है।[7]

अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्षेत्र और आधार कार्यकारी और विधायी कृत्यों में विधि की उचित प्रक्रिया के अनुपालन का विनिश्चय करने की शक्ति से निर्धारित होते हैं।

न्यायाधीश मार्शल ने अपने निर्णय में निम्न तीन सिद्धांतो या बिंदुओं को व्यक्त किया।

(प) संविधान एक लेख पत्र है जो शासन की शक्तियों को निश्चित और मर्यादित करता है।

(पप) संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसलिए कांग्रेस द्वारा पारित अन्य कानूनों की तुलना में श्रेष्ठ है।

(पपप) संविधान के विपरीत बनाये गये कानून असंवैधानिक हैं और न्यायालय अवैध घोषित करते हुए उन्हें मानने से इंकार कर सकता है।

स्विट्जरलैण्ड का संविधान (1999) आंशिक न्यायिक पुनरावलोकंन की व्यवस्था –

स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण अर्थों में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है, वरन् उसे यह शक्ति आंशिक रूप से ही प्राप्त है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय कैण्टनों की विधियों और कैण्टनों की सरकारों के कार्यों की इस आधार पर जांच कर सकता है कि वे संविधान के प्रतिकूल तो नहीं हैं और यदि वह उन्हें संविधान के प्रतिकूल, समझे तो अवैध घोषित कर सकता है लेकिन इसे संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है अर्थात वह संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। यह बात संविधान के अनु. 189(4) से नितांत स्पष्ट है जिसमें कहा गया है कि ''संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों और संघीय शासन के आदेशों को संघीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख चुनौति नहीं दी जा सकती।[9] कानून के आधार पर इस स्थिति के अपवाद निश्चित किये जा सकते हैं।

स्विट्जरलैण्ड॰ का संविधान (1874) –

स्विटजरलैण्ड॰ ने संघीय विषयों में न्याय की समस्त शक्तियां फेडरल ट्रिब्यूनल में निहित की है।[10]

फेडरल ट्रिब्यूनल को संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अभिव्यक्त शक्ति प्रदान नहीं की है।[11]

जापान का संविधान (1946) –

जापान के संविधान में न्यायिक शक्तियां उच्चतम न्यायालय में निहित की है। जापान की न्याय व्यवस्था का आधार आंग्ल अमरीकी न्याय व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिकता सबंधी निर्णय देने वाला सर्वोच्च न्यायालय है।[12] संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी विधायी और कार्यपालिका कृत्य की वैधता के निर्धारण की शक्ति प्रदान की है।[13]

भारत और अमरीका की भांति जापान में भी न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गयी है। इस सबंध में संविधान के 81वें अनुच्छेद में कहा गया है कि ''सर्वोच्च न्यायालय अंतिम न्यायालय है और इसे किसी भी कानून, आदेश, व्यवस्था तथा सरकारी कार्य की संवैधानिकता के निर्णय का अधिकार प्राप्त है। यदि डायट किसी ऐसे कानून का निर्माण करे या केबिनेट कोई ऐसी आज्ञा जारी करे जो संविधान के प्रतिकूल हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैधानिक घोषित कर सकता है।[14] न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था से सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

चीन का नवीन संविधान (1982) –

न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव – चीन की न्यायपालिका न केवल स्वतंत्र नहीं है, वरन् उसकी स्थिति भी महत्वपूर्ण नहीं है उसे संविधान और कानून की व्याख्या करने की वह शक्ति प्रदान नहीं की गयी है जो सामान्यतया

अन्य राज्यों में न्यायपालिका को प्राप्त होती है। चीन में कानूनों की व्याख्या करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करने के बजाय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति को प्रदान की गयी है।[15]

इटली के संविधान (1948) – इटली के संविधान ने यह स्पष्ट घोषित किया है कि विधि के अथवा विधि का प्रभाव रखने वाली किसी संविधि के सांविधानिक न्यायालय द्वारा संवैधानिक रूप से अवैध घोषित कर दिये जाने के निर्णय के प्रकाशन की तिथि से वह प्रावधान शून्य समझा जाता है।[16]

आयरलैण्ड के संविधान (1937) – आयरलैण्ड के संविधान ने यह घोषित किया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आरोप में ससंद द्वारा विशेष प्रक्रिया से हटाये जाने के अतिरिक्त, पद से नहीं हटाया जा सकेगा।[17]

संविधान ने उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की विधियों की संवैधानिक वैधता के परीक्षण की शक्ति प्रदान की है।[18]

अर्जेन्टीना का संविधान (1949) – अर्जेन्टीना के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है लेकिन परोक्ष रूप में न्यायिक पुनरावलोकन के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। देश की न्यायिक शक्ति संविधान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में निहित की है।[19] संविधान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस को संविधान की व्याख्या करने का अनन्य अधिकार प्रदान किया है तथा इसके द्वारा किये गये अर्थान्वयन को देश के सभी न्यायालय मान्यता देगें।[20]

तुलना का सार –

विश्व के अनेक देशों के संविधानों के न्यायपालिका से सबंधित प्रावधानों का उपर्युक्त विवरण इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि समस्त लोकतांत्रिक संविधान, शासन के विभिन्न निकायों द्वारा शक्तियों के संव्यवहार को मर्यादित करने के लिए न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं।

विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के संविधानों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिये प्रावधान किये हैं।

सांविधानिक प्रावधान इस तथ्य को मान्यता प्रदान करते हैं कि शासन की शक्तियों के मर्यादित व्यवहार और विधि के शासन को सुनिश्चित करने के लिये विधायी और कार्यपालिका के कृत्यों पर मर्यादाओं का आरोपण आवश्यक है। इस तरह की व्यवस्थाएं इस तथ्य को स्वीकार करती हैं कि ऐसी मर्यादाओं का आरोपण न्यायपालिका के माध्यम से ही सम्भव है, और इसी कारण सांविधानिक व्यवस्था न्यायपालिका को विधायी और कार्यपालिका कृत्यों की समीक्षा और उनकी संवैधानिक वैधता के परीक्षण का अधिकार प्रदान करती है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रायः सभी संविधानों ने न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के सबंध में अभिव्यक्त या परोक्ष प्रावधान करते हुए भी उन आधारों या मापदण्डों को स्पष्ट नहीं किया जिनके आधार पर विधियों या कार्यपालिका कृत्यों की संवैधानिक वैधता का विनिर्धारण किया जा सके।

प्रस्तुत प्रसंग में विश्व के संविधानों में वर्णित न्यायिक पुनरावलोकन के प्रावधानों पर दृष्टिपात करने के पश्चात इस तथ्य पर ध्यान देना महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत और अमेरिका के संविधान इस दृष्टि से अपवाद माने जा सकते हैं। यद्यपि इन दोनों देशों के संवैधानिक प्रावधानों में न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र, परिधि और प्रकृति में पर्याप्त अंतर विद्यमान है किन्तु इस दृष्टि से इन दोनों सांविधानिक व्यवस्थाओं में एक समानता है कि इनमें न्यायिक पुनरावलोकन को शक्ति के साथ–साथ ऐसे पुनरावलोकन के आधारों और पापदण्डों को स्पष्ट करने का भी प्रयत्न किया गया है।

भारत में तथा एक सीमा तक अमेरिका में भी सांविधानिक विकास की प्रकृतियां वस्तुतः न्यायिक पुनरावलोकन के आधारों और मापदण्डों तथा इनके प्रभाव की न्यायपालिका द्वारा की गई व्याख्या और ऐसी व्याख्या के प्रति कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की अनुकूल या प्रतिरोधपूर्ण प्रतिक्रिया से निर्धारित हुई है।

संदर्भ सूची

1. सी.बी.गेना – तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाए, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि. नई दिल्ली पृ.सं. 797
2. डॉ॰ पुखराज जैन – प्रमुख राज व्यवस्थाएं, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा पृ.सं. 241
3. सी.बी.गेना – तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाए, विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा.लि. नई दिल्ली पृ.सं. 795
4. वही पृ.सं. 797
5. भारत का संविधान – सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन प्रयागराज पृ.सं. 08
6. संयुक्त राज्य अमेरीका के संविधान 1787 का अनु. 111 की धारा।
7. डॉ. पुखराज जैन – प्रमुख राज व्यवस्थाएं, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा पृ.सं. 241
8. वही पृ.सं. 242
9. स्विट्जरलैण्ड के संविधान 1999 का अनु॰ 189(4)
10. स्विट्जलैण्ड के संविधान 1874 का अनु॰ 106
11. स्विट्जलैण्ड के संविधान 1874 का अनु॰ 110
12. डॉ. बी.एल. फड़िया व डॉ. कुलदीप फड़िया – प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, कॉलेज बुक हाउस, जयपुर पृ.सं. 46
13. जापान का संविधान 1946 का अनु. 81
14. डॉ. बी.एल. फड़िया व डॉ. कुलदीप फड़िया – प्रमुख राज व्यवस्थायें, कॉलेज बुक हाउस, जयपुर पृ.सं. 43
15. डॉ. पुखराज जैन – प्रमुख राज व्यवस्थाएं, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा पृ.सं. 378
16. इटली का संविधान 1948 का अनु॰ 136

17. आयरलैण्ड का संविधान 1937 का अनु॰ 35.4(1)
18. आयरलैण्ड का संविधान 1937 का अनु॰ 34.3 (2) व अनु॰ 26
19. अर्जेण्टीना गणराज्य का संविधान 1949 का अनु॰ 89 अनु॰ 95